

परिशिष्ट - दो
प्रपत्र - 2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 को देखें

ई-मेल

दूरभाष
फैक्स

कार्यालय मुख्य शिक्षा नैनीताल, उत्तराखण्ड

पत्रांक :- 12984

दिनांक 30-3-13

सेवा में,

अध्याक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक
गुरुकुल एंड नैशनल स्कूल
कालाहूरी, काशीपास, नैनीताल

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमवली, 2011 के नियम 17 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 30-3-13 के क्रम में आपके विद्यालय गुरुकुल एंड नैशनल स्कूल, कालाहूरी, काशीपास, नैनीताल (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 118 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम-18 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद - नैनीताल
उत्तराखण्ड

Principal,
Gurukul International School
HALDWANI (Nainital) UK.

Principal,
Gurukul International School
HALDWANI (Nainital)